

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या

12/32/2019

प्रवेश तिथि

29-03-2019

निर्णय दिनांक

02-12-2019

01- रामावतार पुत्र लच्छू जाति माली निवासी ग्राम रसनाली तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

-अपीलांत

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर

-रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर

दिनांक 25.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व

अधिनियम प्रकरण संख्या 264/2019

उपस्थित:-

01-श्री अनिल गुप्ता

-वकील अपीलाण्ट



-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रसनाली की भूमि के आराजी खसरा नम्बर 385/23.71 है0 किश्म गै0मु0नला में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रसनाली की भूमि के आराजी खसरा नम्बर 385/23.71 है0 किश्म गै0मु0नला में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2019 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांत को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। वकील अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक माह में कब्जा छोड़ने का शपथ-पत्र पेश करने का निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.03.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है, जबकि रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। यदि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक माह में कब्जा छोड़ने का शपथ-पत्र पेश कर देता है और एक माह में कब्जा छोड़ देता है तो अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जावे तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है। अन्यथा एक माह में कब्जा नहीं छोड़ने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02-12-2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)